

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ
पीठासीन अधिकारी -श्रीमति सीता शर्मा, आर.ए.एस.
अनवान

1 जेतराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति नायक साकिन थेडी तहसील श्रीकरणपुर
जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 5 डी बडी, दुलापुर केरी तहसील व जिला
श्रीगंगानगर (राज.)
-प्रार्थी

-बनाम-

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ
(राज.)।
-अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट)

प्रकरण संख्या - 108/2023

दिनांक - 15.02.2024

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के नाम से तहसील श्रीविजयनगर के चक 2 आरटीएम का मुश्तरका खाता संख्या 10/10 का पं.नं. 251/423 मु.नं. 27 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 1.265 है. एवं प.नं. 251/424 मु.नं. 32 का किला नं. 1, 10, 11, 18 ता 24 में 2.430 है. कुल 3.695 है कमाण्ड मय खाला खातेदारी में 1/5 हिस्सा की वसीयत दिनांक 27.02.2004 को करवायी गयी थी। वसीयत में प्रार्थी का नाम चेताराम एवं जेतराम दर्ज है। वसीयत के आधार पर जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में चेताराम पुत्र गणेशाराम दर्ज हो चुका है। बल्कि सही नाम जेतराम पुत्र श्री गणेशाराम है। प्रार्थी के निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम जेतराम पुत्र श्री गणेशाराम दर्ज है। निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र की गयी है।

प्रार्थी रकबा चक 2 आरटीएम का मुश्तरका खाता संख्या 10/10 का पं.नं. 251/423 मु.नं. 27 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 1.265 है. एवं प.नं. 251/424 मु.नं. 32 का किला नं. 1, 10, 11, 18 ता 24 में 2.430 है. कुल 3.695 है कमाण्ड मय खाला खातेदारी में 1/5 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रार्थी का नाम चेताराम पुत्र श्री गणेशाराम के स्थान पर जेतराम पुत्र श्री गणेशाराम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार राज तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त रिपोर्ट गहन परीक्षण करने पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है। चक 2 आरटीएम का मुश्तरका खाता संख्या 10/10 का पं.नं. 251/423 मु.नं. 27 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में 1.265 है. एवं प.नं. 251/424 मु.नं. 32 का किला नं. 1, 10, 11, 18 ता 24 में 2.430 है. कुल 3.695 है कमाण्ड मय खाला खातेदारी में 1/5 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दुरुस्ती करते हुए चेताराम पुत्र श्री गणेशाराम के स्थान पर चेताराम उर्फ जेतराम पुत्र श्री गणेशाराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर को दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को भिजवाई जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीता शर्मा)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर